राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक–15.09.2014 की कार्यवाही

मद संख्या–01

देहरादून से नैनीताल वाया नजीबाबाद–धामपुर–हल्द्वानी मार्ग पर निजी संचालकों द्वारा अस्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रत्यावेदनों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुल 4 याचीगण श्री एस0के0 श्रीवास्तव, बीना श्रीवास्तव, श्री अमित डोभाल एवं श्री आशीष कुमार को एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम को सुना गया। उभय पक्षों की ओर से लिखित बहस दाखिल किये जाने हेतु समय की मांग की गयी। लिखित बहस हेतु 02 दिन का समय प्रदान करते हुए निस्तारण हेतु अगली बैठक दिनांक 18–09–2014 की नियत की गयी।

मद संख्या–02

देहरादून वाया रानीबाग–काठगोदान–हल्द्वानी–काशीपुर–हरिद्वार से देहरादून मार्ग पर मैसर्स आनन्द टूर एवं ट्रेवल्स लुधियाना द्वारा श्री आनन्द मुद्गल प्रबन्ध निदेशक निजी संचालक द्वारा स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रत्योवदनों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक उपस्थित नहीं हुए। प्रश्नगत प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.09.2014 को प्रस्तुत किया जाये।

(आशीष मिश्र)
सदस्य

(ललित मोहन
सदस्य

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।

(देवेन्द्र अग्रवाल)
सदस्य

(शरदकान्त)
सदस्य

राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक–22.09.2014 की कार्यवाही एवं निर्णय

मद संख्या–01

मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुक्रम में कुल 4 याचीगण श्री एस0के0 श्रीवास्तव, बीना श्रीवास्तव, श्री अमित डोभाल एवं श्री आशीष कुमार को देहरादून से नैनीताल मोटर मार्ग हेतु मंजिली वाहन हेतु अस्थायी परमिट प्रदान किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

सर्वप्रथम दिनांक 15.09.2004 को दोनों पक्षकार अलग–अलग उपस्थित हुए और उनको सुना गया, तदुपरान्त दोनों ही पक्षों की प्रार्थना पर उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का अवसर दिया गया। लिखित बहस दाखिल किए जाने के उपरांत दिनांक 22.09.2014 की तिथि रखी गई और पुनः पक्षकारों की अवशेष बहस सुनी गई एवं उनके द्वारा दिए गये समस्त प्रार्थनापत्रों को पत्रावली पर गृहीत किया गया।

याचीगणों की ओर से अपनी लिखित बहस के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की नजीर **कान सिंह बनाम राज्य (ए0आई0आर 1988 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 18)** प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का तर्क सुनने का अवसर नहीं दिया गया है, अतः प्रक्रिया युक्तिसंगत नहीं है। दिनांक– 22.09.2014 को सुनवाई में दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ उपस्थित होकर बहस करने का पूरा अवसर दिया जा चुका है, अतः यह तर्क खारिज किया जाता है।

याचीगण की ओर से मोटरयान अधिनियम की धारा 47 (1एच) का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण को कोई निर्णय लेते हुए objective satisfaction करना होगा। वहां यह भी तर्क दिया गया है कि परिवहन निगम को स्थाई परमिट दिए गये हैं जो विधि विरूद्ध हैं। याचीगण ने **आदर्श ट्रेवल बस सर्विस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 557** के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुए यह भी तर्क दिया है कि राज्य सरकार को दिनांक 10.03.1961 की स्कीम पर पुनः संज्ञान लेते हुए जनहित में याचीगण को अस्थायी परमिट जारी करने चाहिए।

इसके अतिरिक्त याचीगण ने सचिव, प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र पर ध्यान आकृष्ट कराया है तथा साथ ही प्राधिकरण के सचिव के परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक होने के कारण भी निर्णय की निष्पक्षता को प्रश्न चिन्हित किया है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ओर से दी गई लिखित बहस में यह बताया गया है कि देहरादून, नैनीताल मार्ग 10 अधिसूचित मार्गों से होकर जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 18 परमिट प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि 09.11.2000 के बस संचालन की स्थिति तक उन्हें इस सम्बन्ध में प्राधिकार संलग्न 2 पत्र जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से जारी किया गया है, के आलोक में प्राप्त है। इसी प्रकार उन्होंने यह भी बताया है कि 11.07.2002 को उत्तराखण्ड राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य सचिव स्तर पर जो परिवहन समझौता हुआ था उसके अनुसार भी निजी वाहन स्वामियों के लिए देहरादून, नैनीताल मार्ग पर बस संचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। परिवहन निगम की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 27 अक्टूबर, 2003 के आलोक में भी दोनों राज्यों की परस्पर सहमति के आलोक में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को तो बस चलाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु निजी वाहन संचालकों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परिवहन निगम ने प्रश्नगत मार्ग पर अंतर्राज्यीय मार्ग एवं अधिसूचित मार्ग की स्थिति वर्णित करते हुए निजी वाहन स्वामियों की परमिट जारी करने का विरोध किया है।

प्राधिकरण द्वारा सभी पक्षों को सुना गया जो उनकी लिखित एवं मौखिक कथनों पर गंभीरता से विचार–विमर्श किया गया।

सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण ने सुनवाई से अनुपस्थित रहने और निर्णय में प्रतिभाग न करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसे प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जहां तक प्रश्नगत देहरादून, नैनीताल मोटर मार्ग का प्रश्न है तो निर्विवाद रूप से यह स्थापित हो गया है कि प्रश्नगत मार्ग पर विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार कुल अधिसूचित मार्ग(उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति संलग्नक–1 के रूप में उपलब्ध है) के भाग पड़ते हैं और इस ओवर लैपिंग की वजह से इन मार्गों पर प्राइवेट वाहन स्वामियों को कोई वाहन चलाने की अनुमति देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 104 के अनुसार उचित नहीं है।

पत्रावली पर यह भी स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि देहरादून से नैनीताल के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य का जो बड़ा हिस्सा आता है उसकी सीमा 16 किलोमीटर से अधिक है। ऐसे में दोनों राज्यों के मध्य मंजिली वाहन के संचालन हेतु किसी परस्पर करार के अभाव में भी निजी वाहन संचालकों को अनुमति नहीं

दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अश्विनी कुमार एवं अन्य बनाम रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी बीकानेर एवं अन्य II (1999) ए0सी0सी0 631 के मामले में यह अवधारित किया है कि–

Accepting the submissions made on behalf of the appellants would result in frustration of the objective sought to be achieved by the Act. The interpretation put by the High Court is rationale, legal and proper. In the absence of existence of inter-State route, the authorities under the Act were not justified in granting the permits to the appellants. The existence of permit depends upon the reciprocal agreements between the States covered by the route which, admittedly, did not exist in the instant case. The orders of the Authority granting permit in favour of the appellants were thus without jurisdiction.

ए. वेंकटाकृष्णन प्रति स्टेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी, केरल III (2005) ए0सी0सी0 708 (सुप्रीम कोर्ट में) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया:–

" The expression used in Sub-section (1) of Section 88 of the Act 'except as may be otherwise presecribed', indicate that where an application for grant of inter-State route is to be applied, there must be a reciprocal agreement between the two States as contemplated under Sub-section (5) of Section 88 of the Act unless and untill there a reciprocal agreement between the two States within which the proposed inter-State route lies, no permit on inter-State route can be granted."

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया:–

"A State, therefore, would not have any juresdiction to consider any application for grant of inter-State permit which would require the countersignature of the other State."

"Therefore, before an inter-State route in respect whereof a permit is sought to be granted is determined, the question of filing any application therefor by a person before the State Transport Authority of his State would not arise unless an agreement in relation thereto has been entered into by the concerned States and the routes as also the number of trips are fixed thereunder. We are, therefor, of the opinion that the State Transport Authority of one State would have no

jurisdiction to entertain an application for grant of an inter-State route, particularly when Section 80 of the Act will have not application in relation thereof unless an agreement is entered into by the concerned State."

"In absence of any route being fixed in terms of an agreement, in the event in be held that an application for grant of permit for inter-State route can be entertained, the same would lead to a futile exercise. A mutual approval of the States concermed, in the matter, therefor, must be held to be mandatory."

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (1), (5), (6), तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त नजीरों के प्रकाश में जब तक उत्तराखण्ड राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अन्तर्राज्यीय (Inter-State) मार्ग के सम्बन्ध में आपसी समझौता नहीं हो जाता है तब तक उत्तराखण्ड राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रश्नगत मार्ग पर परमिट निर्गत करने के आवेदन–पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है।

आदर्श ट्रेवल बस सर्विस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 557 की नजीर में कोई ऐसा विधिक प्रतिपादन नहीं है जिसका लाभ याचीगण को दिया जा सकता हो। जहॉ तक जनहित में वर्ष 1961 में जारी स्कीम में परिवर्तन करने का प्रश्न है तो इस बिन्दु पर इस निर्णय के समय विचार करना संभव नहीं है।

जहां तक राज्य परिवहन निगम को अनुमति दिए जाने का प्रश्न है तो उस संदर्भ में राज्य परिवहन निगम की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किए गये हैं उनमें भी पर्याप्त बल दर्शित हो रहा है और राज्य परिवहन निगम की तुलना निजी वाहन स्वामियों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्य परिवहन निगम के पक्ष में भारत सरकार की अधिसूचना जिसमें राज्य सड़क परिवहन निगम की आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन किया गया था, उपलब्ध है, जिसमें दोनों राज्यों ने (उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–806/30–2–03–2–12/03 दिनांकित 17 मई 2003 एवं तदकम में उत्तराखण्ड शासन का पत्र) सहमति दी है।

याचीगण की ओर से जो विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं उनमें से कोई भी यह दर्शित नहीं करती है कि अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बिना राज्यों के समझौते के कोई परमिट जारी किया जा सकता हो। याचीगण के अन्य तकों का कोई मूल्य नहीं रह गया है, क्योंकि अन्तर्राज्यीय मार्ग पर राज्य परिवहन प्राधिकरण को एकतरफा अस्थायी परमिट दिये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः इस परिस्थिति में अंतर्राज्यीय मार्ग होने के कारण इस राज्य परिवहन प्राधिकरण को निजी वाहन स्वामियों को देहरादून, नैनीताल मार्ग के सम्बन्ध में कोई परमिट जारी करने का कारण दर्शित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त विवेचन के साथ याचीगण श्री एस0के0 श्रीवास्तव, बीना श्रीवास्तव, श्री अमित डोभाल एवं श्री आशीष कुमार द्वारा देहरादून, नैनीताल मोटरयान मार्ग के लिए अस्थाई परमिट प्रदान किये जाने का प्रार्थनापत्र तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है।

मद संख्या–02

देहरादून वाया रानीबाग–काठगोदान–हल्द्वानी–काशीपुर–हरिद्वार से देहरादून मार्ग पर मैसर्स आनन्द टूर एवं ट्रेवल्स लुधियाना द्वारा श्री आनन्द मुद्गल प्रबन्ध निदेशक निजी संचालक द्वारा स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रत्योवदनों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को पुकारा गया। पुनः आवेदक उपस्थित नहीं हुए, अतः प्रत्यावेदनों को प्राधिकरण की अगली बैठक हेतु स्थगित किया जाता है।

(मनीष मिश्र)
सदस्य

(ललित मोहन)
सदस्य

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष।
24/9/2014

देवेन्द्र कुमार 22.9.14
(देवेन्द्र अग्रवाल)
सदस्य

(शरदकान्त)
सदस्य